भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1183

(जिसका उत्तर सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम

1183. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार" के संबंध में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए "डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम" अधिनियमित करने और आचार संहिता बनाने के संबंध में उपाय कर रही है, ताकि उपभोक्ताओं और राष्ट्र के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने "बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार" विषय की जांच की और 22.12.2022 को लोक सभा और राज्य सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर एक अलग कानून की आवश्यकता की जांच करने के लिए 06.02.2023 को डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (सीडीसीएल) संबंधी समिति का गठन किया है। सीडीसीएल के विचारार्थ विषयों (टीओआर) में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: (क) यह समीक्षा करना कि क्या प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम डिजिटल अर्थव्यवस्था से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं; (ख) एक पृथक विधान के माध्यम से डिजिटल बाजारों के लिए पूर्व विनियामक तंत्र की आवश्यकता की जांच करना; (ग) डिजिटल बाजारों के क्षेत्र में विनियमन पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करना; (घ) डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा के संबंध में अन्य विनियामक व्यवस्थाओं/संस्थागत तंत्रों/सरकारी नीतियों का अध्ययन करना; (ङ) अग्रणी प्लेयरों/प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यस्थों (एसआईडीआई) की प्रथाओं का अध्ययन करना जो डिजिटल बाजारों में नुकसान पहुंचाने की क्षमता को सीमित करते हैं या करने की क्षमता रखते हैं; और (च) डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा से संबंधित कोई अन्य मामले जो समिति द्वारा प्रासंगिक समझे जाएं।

*****